(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-16/2007-U3(A)Pt.1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Dated the 8th June, 2018

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-16/2007-U3(A) dated 03.07.2008, on the advice of UGC, had declared Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala as an Institution deemed to be University under de-novo category, for a **provisional period of five years.** This declaration was subject to the condition that the status conferred upon the IISST will be confirmed after five years on the basis of performance reports of the Expert Review Committee of the UGC and the recommendation of the Commission thereon and the Department of Space shall finalize the Memorandum of Association (MoA) and Rules of the IISST in accordance with the model MoA/Rules prescribed by the UGC and in concurrence with the Commission.

3. **And whereas,** the functioning of Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 29-31st January, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 530th meeting (Item No.2.12) held on 20.03.2018. The Commission considered the report and the following resolution was forwarded to this Ministry:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

4. **Now, therefore,** in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala from 03.07.2013 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry and the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Indian Institute of Space Science and Technology (IISST), Thiruvananthapuram, Kerala.

(Sanjay Kumar Sinha)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23383432

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
Delhi - 110064.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
3. The Director, Indian Institute of Space Science and Technology (Deemed to be University), Valiamala PO, Thiruvananthapuram - 695547, Kerala.
4. The Chairman, Indian Institute of Space Science and Technology and the Secretary, Department of Space and Chairman, ISRO, Vikram Sarabhai Space Centre, Department of Space, Government of India, Veli, Thiruvananthapuram, Kerala - 695022.
5. The Addl. Secretary, Dept. of Space, Government of India, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore - 560094.
6. The Principal Secretary to the Government of Kerala, Department of Higher Education, Government of Kerala, Government Secretariat, Thiruvananthapuram.
7. The Chairman, Indian Space Research Organisation (ISRO), ISRO Headquarters, Antariksh Bhavan, New BEL Road, Bangalore - 560094.
8. The Co-ordinator, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram-695022, Kerala.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.

(Prabhakar Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-16/2007-यू.3 (ए) भाग- 1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01
दिनांक 8 जून, 2018

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी दिनांक 03.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-16/2007-यू.3 (ए) के जरिए यूजीसी की सलाह पर, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल को **पांच वर्षों की अनंतिम अवधि** के लिए नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था। यह घोषणा इसके **अध्यधीन** थी कि आईआईएसएसटी को दिए गए दर्जे की, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट और तत्संबंधी आयोग की सिफारिश के आधार पर, पांच वर्ष के बाद पुष्टि की जाएगी और अंतरिक्ष विभाग, यूजीसी द्वारा विनिर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियमावली के अनुसार और आयोग की सहमति से आईआईएसएसटी के संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमावली को अंतिम रूप देगा।

3. **और जबकि,** यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 29-31 जनवरी, 2018 के दौरान 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को आयोजित इसकी 530वीं बैठक (मद सं. 2.12) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया था और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया था:

"विचार किया गया और इसके अध्यधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हों, छह माह की समयावधि के भीतर विचार किया जाएगा और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

4. **अतः अब,** केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 03.07.2013 से आगे बढ़ाती/विनियमित करती है जो इसके अध्यधीन होगा कि संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/ बताई गई कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. 'भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसएसटी), तिरूवनंतपुरम, केरल द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय- समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों का पालन किया जाएगा।

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन: 011-23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
दिल्ली-110064.

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070.
3. निदेशक, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (समविश्वविद्यालय), वलियामाला डाकघर, तिरूवनंतपुरम-695547, केरल
4. अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और सचिव, अंतरिक्ष विभाग और अध्यक्ष, इसरो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, तिरूवनंतपुरम, केरल- -695022
5. अपर सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड, बंगलौर-560094.
6. प्रधान सचिव, केरल सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, केरल सरकार, सरकार सचिवालय, तिरूवनंतपुरम।
7. अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), इसरो मुख्यालय, अंतरिक्ष भवन,

न्यू बीईएल रोड, बंगलौर-560094.

8. समन्वयकर्ता, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरूवनंतपुरम, केरल- -695022

9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

10 महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.

11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।

12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

(प्रभाकर मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार